



UPAU120046312025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या-3029/2025

श्रीमती विशालनी

बनाम

निसिल कुमार आदि।

थाना-बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक-12.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर प्रार्थिनी/परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी व विपक्षीगण के बीच चन्द भले लोगों के बीच में समझौता हो गया है। प्रार्थिनी अब मुकदमा चलाना नहीं चाहती है। वह अपनी ससुराल में हंसी-खुशी से रह रही है। अतः उक्त परिवाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि उसका, विपक्षीगण से समझौता हो गया है। वह अब मुकदमा चलाना नहीं चाहती है तथा अपनी ससुराल में रह रही है। चूंकि प्रस्तुत मामले में परिवादिनी कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहती है। मामला पारिवारिक है। उसका विपक्षीगण से समझौता हो गया है। ऐसे में विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी0एन0एस0एस0 में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या 3029/2025, श्रीमती विशालनी बनाम निसिल कुमार आदि, अन्तर्गत धारा-226 बी0एन0एस0एस0 में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कुशाग्र मिश्र)

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।

J.O. Code: UP4693